



Neutral Citation No. - 2026:एचसी:59383-डीबी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1913/2026

जुगरान शेख उर्फ जुब्रान शेख और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अमित कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(कों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, हिमांशु कुशवाहा, कमलेश कुमार सिंह, संतोष कुमार राय

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान शासकीय अधिवक्ता और प्रथम सूचनाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार राय को सुना।
- हमने अभिलेख का अवलोकन किया।
- याचिकाकर्ताओं, जुगरान शेख उर्फ जुब्रान शेख, आफताब उर्फ बादल और सना शेख ने प्रथम सूचनादाता प्रतिवादी 3, सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा दिनांक 28.12.2025 को दर्ज कराई गई और मुकदमा अपराध संख्या 377/2025 अंतर्गत धारा 316(2), 351(3), 308(4), 308(6) बी.एन.एस. (संबंधित धारा 406, 506, 387, 389 आईपीसी) पुलिस स्टेशन कैंट, जिला वरुणा (कमिश्नर कार्यालय वाराणसी) के रूप में पंजीकृत आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती देते हुए इस आपराधिक विविध रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती देते हुए न्यायालय का ध्यान स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया है और इसके आधार पर उनका कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि यद्यपि यह सर्वविदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन का संपूर्ण विवरण नहीं है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के (i) **मनोज और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1999) 4 एससीसी 268** (ii) **सुभाष कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (2009) 6 एससीसी 641** और (iii) **अचार सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) 5 एससीसी 543**, मामले में दिए गए निर्णयों में कहा गया है लेकिन इससे अभियोजन का आधार स्पष्ट नहीं होता। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अभियोजन के आधार की विवेचना करने पर यह स्पष्ट नहीं होता कि पक्षों के बीच हुआ समझौता पंजीकृत समझौता है या नहीं, और दूसरा, उक्त समझौते के अनुसार भुगतान का तरीका क्या है। उपरोक्त के अलावा, यदि पक्षों के बीच विक्रय समझौते के तहत कोई लेन-देन हुआ भी हो, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ऋखब बिरानी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 823** के मामले में दिए गए कानून के अनुसार, प्रथम सूचनाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 को अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन या धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर करना चाहिए था। इस प्रकार, विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद को आपराधिक मुकदमेबाजी में घसीटा गया है। उपरोक्त आधार पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि न्यायालय द्वारा आक्षेपित एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, राज्य-प्रतिवादी 1 और 2 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान एजीए और प्रथम सूचनादाता प्रतिवादी 3 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने इस रिट याचिका का पुरजोर विरोध किया है। उनका कहना है कि चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से *प्रथम दृष्टया* संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, इसलिए इस रिट याचिका में न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है। हालांकि, वे याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस रिट याचिका के समर्थन में प्रस्तुत किए गए तथ्यात्मक और कानूनी तर्कों को इस स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों के संदर्भ में खारिज नहीं कर सके, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी 1 और 2 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान एजीए और प्रथम सूचनादाता प्रतिवादी 3 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता की

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

7. राज्य-प्रतिवादी 1 और 2 की ओर से भेजे गए नोटिस को विद्वान एजीए ने स्वीकार कर लिया है।

8. प्रथम सूचनाकर्ता-प्रतिवादी 3 की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार राय उपस्थित हुए हैं।

9. प्रथम सूचनाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 4 रवि प्रकाश जायसवाल को नोटिस जारी किया जाए।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय की नियमावली के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिवादी 4 को नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया पूरी करें।

11. सभी प्रतिवादी छह सप्ताह के भीतर अपने-अपने प्रति-शपथपत्र दाखिल करेंगे।

12. इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपने प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा।

13. इस याचिका को 18.05.2026 को उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त उल्लिखित वर्तमान रिट याचिका के समर्थन में प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, अंतरिम उपाय के रूप में, यह प्रावधान किया जाता है कि इस न्यायालय के अगले आदेश तक, याचिकाकर्ताओं को दिनांक 28.12.2025 के आक्षेपित एफआईआर से उद्धृत मुकदमा अपराध संख्या 377/2025, धारा 316(2), 351(3), 308(4), 308(6) बी.एन.एस. (आईपीसी की संबंधित धारा 406, 506, 387, 389), पुलिस स्टेशन कैंट, जिला वरुण (कमिशनर कार्यालय वाराणसी), के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

15. हम **प्रजा प्रांजल कुलकर्णी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2025) एससीसी ऑनलाइन एससी 1948** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अवगत हैं, और इसलिए, हम आगे निर्देश देते हैं कि विवेचना जारी रहे, लेकिन वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने तक विवेचनाधिकारी द्वारा बीएनएसएस की धारा 193 (3) के तहत पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

16. इस मामले को इस पीठ द्वारा टाइड उप या आंशिक रूप से सुना हुआ नहीं माना जाएगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17. इस पीठ को यदि कोई कार्य सौंपा गया है, तो उसे उन्मोचित किया जाता है।

23 मार्च, 2026

प्रजापति आर.के.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव मिश्रा, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"